प्रेषक,

सहदेव
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 02 जनवरी, 2018**

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रोग्राम फण्ड में भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 86681.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3510/एफ-32/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2015-16, दिनांक- 22.12.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उप सचिव (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-जे0-12036/1/2015-आर0सी0(एफएमएस नं0-341739), दिनांक-20.12.2017 की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पीएमजीएसवाई-2 तथा पीएमजीएसवाई-2, बैच-2 हेतु प्रोग्राम फण्ड में भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 86681.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पीएमजीएसवाई-2 तथा पीएमजीएसवाई-2, बैच-2 हेतु प्रोग्राम फण्ड में भारत सरकार के पत्र सं0-जे0-12036/1/2015-आर0सी0(एफएमएस नं0-341739), दिनांक-20.12.2017 के माध्यम से प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 86681.00 लाख (रूपये आठ सौ छाछठ करोड़ इक्यासी लाख मात्र) को आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1)- धनराशि जिन मदो के लिये स्वीकृत की जा रही है, व्यय उसी मदों में किया जायेगा, अन्य मदों में व्यय कदापि नहीं किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुये किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।

(3)- व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन,

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से, सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- उक्त धनराशि को एक मुश्त आहरित कर उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के नाम से स्टैट बैंक, जवाहर भवन लखनऊ में खुले बचत खाता संख्या-10616665805 में तत्काल जमा किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-02-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पी0एम0जी0एस0वाई0)-0201- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक-20.11.2017 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सहदेव
विशेष सचिव।

संख्या-01/2018/पी-927(1)/अट्ठीस-9-2017, तद दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- डा0 सुरभि राय, उप सचिव (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कक्ष सं0-369, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
10- निदेशक, बजट/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11- गार्डबुक।

आज्ञा से,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।